बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

<u>एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बारगी निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) के लिए योजना संक्षेप में</u>

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2008-09/467 आरपीसीडी/ .एसएमईएन्डएनएफएस/ बीसी नं 102 /06.04.01/2008-09 दिनांक 4 मई 2009 के अनुसार बैंक ऑफ बडौदा ने एमएसई क्षेत्र के मुश्किल एनपीए / पीडब्लूओ खातों के एकबारगी निपटान के लिए मंजूरी की सामान्य शर्तो तथा एकसमान व भेदभाव रहित मार्गनिर्देशों के साथ कार्यपद्धति बनाई है.

'एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बारगी निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) के लिए योजना ' का विवरण आगे दे रहे हैं.

योजना का विस्तार

दि. 31.03.2009 को रु. 10 करोड तक के बही देयों के साथ एनपीए के रूप में वर्गीकृत और अभीतक एनपीए श्रेणी में आनेवाले एमएसई खातों को योजना में शामिल किया जाएगा.

अपवाद

जानबूझकर चूककर्ता, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामलों पर योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा.

निपटान का फार्म्यूला

एमएसई क्षेत्र की विविध श्रेणियों के एनपीए खातों के लिए सुनिर्धारित निपटान फार्म्यूला बनाया गया है, जो निम्न बातों पर आधारित होगा

i) दि. 31.03.2009 को खाते का आस्ति वर्गीकरण
ii) एनपीए के रूप में आस्ति वर्गीकरण की विविध श्रेणियों में खाता किस अवधि तक रहा.
iii) निपटान फार्म्यूला के भाग के तौर पर ब्याज / या मूल देयों में कहांतक छूट देने पर विचार किया जा सकता है.
iv) प्रतिभूतियों का वर्तमान बाजार मूल्य

भुगतान :

गणन के बाद निर्धारित निपटान की राशि का वरीयतः एकबारगी भुगतान करना होगा. जहां ऋणी एक ही बार में भुगतान नहीं कर सकते, वहां निपटान की कम से कम 25% राशि का भुगतान पहले करना आवश्यक होगा और शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में करना होगा.

मंजूरीकर्ता प्राधिकारी :

योजना की शर्तों के अनुसार ऋणियों की सहमति से अंतिम रूप से तय की गई एकबारगी निपटान राशि को समुचित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी.

भेदभाव रहित व्यवहार

योजना के तहत एकबारगी भुगतान हेतु शामिल सभी खातों के विषय में शाखाएं एकसमान रूप से उपरोक्त मार्गनिर्देशों का अनुसरण करें.

वैधता :

योजना 31 मार्च 2010 तक लागू रहेगी.

सभी पात्र चूककर्ता ऋणी इन मार्गनिर्देशों के अनुसार अपने बकाया देयों के एकबारगी निपटान के अवसर का लाभ लें.

अधिक जानकारी के लिए अपनी सुनिश्चित ऑफर के साथ संबंधित शाखा से संपर्क करें.